AIDCF MOVES TDSAT AGAINST DD FREE DISH

DD Free Dish has been under fire from AIDCF – the All India Digital Cable Federation) which has moved the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) against DD Free Dish for allegedly not abiding by TRAI's regulation that requires the channels to be provided in an encrypted manner.

"TRAI has defined the category of channels as Pay Channel or FTA (i.e., Free to Air) channels as per its regulations and all the broadcasters define their channels as Pay or FTA. However, some channels, which are declared as pay channels by broadcasters are available as free-to-air (FTA) on DD Free Dish platform which is resulting a non-level-playing field between DD free Dish and MSOs," said Peeush Mahajan, President, AIDCF.

The petition, filed by AIDCF and GTPL Hathway Ltd, which sought compliance with the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017 applicable to Broadcasting Services in India and in particular that the Prasar Bharati provides all private television channels through encrypted signal for DD Free Dish Service.

The plea has alleged that broadcasters have been providing TV channel decoders of certain pay channels to the DTH platform DD Free Dish, without charging any tariff for the pay channels.

It also sought that all agreements between Prasar Bharati and private broadcasters, which are contrary to TRAI regulations, be declared null and void.

The cable federation urged the tribunal to ensure that all private television channels are broadcast to the end consumer in encrypted form through digital addressable systems. ■

एआईडीसीएफ ने डीडी फ्री डिश के खिलाफ टीडीसैट का रूख किया

डीडी फ्री डिश, एआईडीसीएफ–(ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन) के निशाने पर है, जिसने कथित तौर पर ट्राई के नियमों का पालन नहीं करने के लिए डीडी फ्री डिश के खिलाफ दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) का रूख किया है, जिसके लिए चैनलों को एन्क्रिप्टेड तरीके से उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

एआईडीसीएफ के अध्यक्ष पीयूष महाजन ने कहा 'ट्राई ने अपने नियमों के अनुसार चैनलों की श्रेणी को पे चैनल या एफटीए (यानी, फ्री–टू–एयर) चैनलों के रूप में परिभाषित किया है और सभी प्रसारक अपने चैनलों को पे या एफटीए के रूप में परिभाषित करते हैं। हालांकि, कुछ चैनल, जिन्हें ब्रॉडकास्टर्स द्वारा पे चैनल के रूप में घोषित किया गया है, डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म पर फ्री–टू–एयर (एफटीए) के रूप में उपलब्ध है, जिसके परिणामस्वरूप डीडी फ्री डिश और एमएसओ के बीच एक स्थितियां बिल्कुल अलग–अलग है।'

एआईडीसीएफ और जीटीपीएल हेथवे लिमिटेड द्वारा दायर याचिका, जिसमें भारत में प्रसारण सेवाओं पर लागू दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा मानको और सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, **2017** के अनुपालन की मांग की और विशेष रूप से प्रसार भारती सभी निजी टेलीविजन चैनलों को डीडी फ्री डिश सेवा के लिए एन्क्रिप्टेड सिगनल के माध्यम से प्रदान करता है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रसारक पे चैनलों के लिए कोई टैरिफ चार्ज किये बिना, डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्री डिश को कुछ पे चैनलों के टीवी चैनल डिकोडर प्रदान कर रहे हैं।

इसमें यह भी मांग की गयी है कि प्रसार भारती और निजी प्रसारकों के बीच सभी समझौते, जो ट्राई नियमों के विपरित है, को अमान्य घोषित किया जाए।

केबल फेडरेशन ने ट्रिब्यूनल से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सभी निजी टेलीविजन चैनल डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के माध्यम से एन्क्रिप्टेड रूप में अंतिम उपभोक्ता तक प्रसारित किये जायें। ■